प्रेस नोट दिनांक 25.03.2026

थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

थाना फतेहगंज पश्चिमी #bareillypolice द्वारा मुठभेड़ के दौरान 25000/रु के इनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह व कारतूस तथा गौकशी के उपकरण बरामद।

सूचना , पुलिस टीम एंव कार्यवाहीः-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चलाये जा रहे अपराध एंव अपराधियो के विरूद्ध अभियान के अन्तर्गत थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली पुलिस दिनांक 25.03.2026 को गश्त पर थी, इसी दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना फतेहगंज पश्चिमी पर पूर्व में पंजीकृत मु0अ0सं0 232/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित 25000/रु का इनामिया अभियुक्त कामिल उर्फ नक्ता पुत्र गुलाम फरीद निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत आज बंद पड़ी रबर फैक्ट्री के जंगल में गौकशी की फिराक में है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। अभियुक्त ने अपने आप को पुलिस से घिरता देख समय करीब 05:35 बजे सुबह पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर भागने का प्रयास किया, जिसमें एक गोली उपनिरीक्षक पंकज कुमार के बाजू को छूते हुए निकल गई। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में अभियुक्त कामिल उर्फ नक्ता पुत्र गुलाम फरीद निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत दोनों पैर में गोली लगने से घायल हो गया। मौके से अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस नाल में व 02 जिंदा कारतूस बरामद हुए, साथ ही गौकशी करने के उपकरण भी बरामद हुए है। घायल अभियुक्त एवं घायल पुलिसकर्मी को उपचार हेतु सीएचसी फतेहगंज पश्चिमी भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्त कामिल उर्फ नक्ता उपरोक्त पूर्व में गौकशी के पंजीकृत मुकदमे में वांछित तथा 25000 / रु0 का इनाम घोषित अपराधी है, जिसके विरुद्ध 15 अभियोग गौकशी, गैंगस्टर आदि के पूर्व से पंजीकृत हैं। पुलिस मुठभेड़ के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 93/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः-

अभियुक्त कामिल उर्फ नक्टा पुत्र गुलाम फरीद निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत ने पूछने पर बताया कि दिनांक 26/27.05.2025 को थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र मे ग्राम धनेटा के पास नदी के किनारे अपने साथी अजीम पुत्र अल्लन निवासी ढकिया उलकरी थाना न्यूरिया जनपद पीलीभीत के साथ मिलकर गौवंशीय एक बछडा काट कर ले गये थें। बछडे के अवशेषो को वही नदी के किनारे डाल दिया था और सही मांस को लेकर चले गये थे। मेरा साथी अजीम पीलीभीत मे पुलिस के द्वारा पकडा गया तो मै डर के कारण अपने आप को बचाते हुये जम्मू मे काम करने के लिये चला गया था। उसके बाद अब मै रूडकी मे रह रहा था । अब जब थोडा माहौल शांत हुआ तो मै पुनः अपना पुराना काम शुरू ही करने के लिये रबड फैक्ट्री मे आया जहाँ मै गौकशी के लिये छोटे बछडे को तलाश कर रहा था तभी पुलिस ने मुझे देख लिया और पकडने की कोशिश की अपने बचाव के लिये मैने तमंचा से पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। इसी दौरान पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

कामिल उर्फ नक्टा पुत्र गुलाम फरीद निवासी मो0 ग्यासपुर कस्बा व थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत

बरामदगी का विवरण:

1. एक अवैध तमंचा .315 बोर
2. एक खोखा कारतूस (नाल में लगा हुआ)
3. दो जिंदा कारतूस
4. गौकशी से संबंधित उपकरण

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

1.मु0अ0सं0 232/25 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

2. मु0अ0सं0 93/2026 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

3. मु0आ0सं0 132/23 धारा 3/5/8 गोवध अधि0 420,467,468,471 थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

4. मु0अ0सं0 245/2023 धारा 2,3(1) गिरोहबन्द निवारण अधि0 थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

5. मु0अ0सं0 58/2025 धारा 25/27/3 आयुध अधि0 3/8/ गोबध अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0 109/3(5) बीएनएस थाना बिथरी चैनपुर जनपद बरेली।

6. मु0अ0सं0 232/24 धारा 25(3) आयुध अधि0 317(4),61(2) थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली ।

7. मु0अ0सं0 151/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 थाना हाफिजगंज जनपद बरेली ।

8. मु0अ0सं0 161/2023 3/8 गोवध निवारण व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना हाफिजगंज जनपद बरेली।

9. मु0अ0सं0 368/19 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

10. मु0अ0सं0 196/20 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

11. मु0अ0सं0 223/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

12. मु0अ0सं0 102/21 धारा 5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

13. मु0अ0सं0 215/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 व धारा 379 भादवि थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

14. मु0अ0सं0 220/21 धारा 307/398/401 भादवि थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

15. मु0अ0सं0 222/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

16. मु0अ0सं0 001/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बीसलपुर जनपद पीलीभीत।

पुलिस टीमः-

1. थानाध्यक्ष प्रयागराज सिंह थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली
2. व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
3. उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
4. हे0का0 678 भपेन्द्र सिंह थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
5. का0 88 लेखपाल सागर थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
6. का0 3050 अक्षय कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।